"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2005-- फाल्गुन 20, शक 1926

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2005

क्रमांक 1894/21-अ/प्रारुपण/05.-- छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 05-03-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
विमला सिंह कपूर, उप सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 1 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) अधिनियम, 2005

वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक-1 सन् 2005) है.

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये राज्य की संचित निधि में से 542,91,44,800 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग पांच सौ बयालिस करोड़ इक्यानबे लाख चवालिस हजार आठ सौ रुपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बाबत वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान दिये जाने होंगे और उपयोजित की जा सकेंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
.	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा.	राजस्व	0	1,74,61,79,200	1,74,61,79,200
..	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	0	1,36,78,51,100	1,36,78,51,100
01.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	1,09,00,000	25,00,000	1,34,00,000
06.	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	60,25,30,000	6,59,000	60,31,89,000
		पूंजी	0	1,00,000	1,00,000
08.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	1,56,55,000	0	1,56,55,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
10.	वन	राजस्व	2,70,00,000	1,74,80,300	4,44,80,300
		पूंजी	100	0	100
11.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,56,93,000	0	1,56,93,000
13.	कृषि	राजस्व	4,43,12,000	2,38,000	4,45,50,000
14.	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,00,42,000	0	2,00,42,000
17.	सहकारिता	पूंजी	4,00,00,000	0	4,00,00,000
18.	श्रम	राजस्व	7,25,000	0	7,25,000
19.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	1,06,58,000	0	1,06,58,000
20.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	10,00,000	0	10,00,000
22.	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय.	राजस्व	6,11,000	0	6,11,000
23.	जल संसाधन विभाग	राजस्व	5,00,000	0	5,00,000
24.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	200	0	200
25.	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	75,00,000	0	75,00,000
26.	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	10,36,000	0	10,36,000
27.	स्कूल शिक्षा	राजस्व	4,00,00,000	0	4,00,00,000
29.	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	1,47,16,000	26,64,000	1,73,80,000
30.	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	3,17,000	0	3,17,000
33.	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	15,60,000	0	15,60,000
39.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	32,58,27,000	0	32,58,27,000
41.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	29,63,84,700	0	29,63,84,700
		पूंजी	43,50,00,000	0	43,50,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
42.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल.	पूंजी	100	0	100
44.	उच्च शिक्षा	राजस्व	6,75,000	0	6,75,000
45.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
47.	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	32,00,000	0	32,00,000
48.	ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान.	पूंजी	100	0	100
55.	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	2,67,00,000	0	2,67,00,000
56.	ग्रामोद्योग	राजस्व	3,53,000	0	3,53,000
58.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	12,81,38,000	0	12,81,38,000
64.	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना.	राजस्व	2,42,82,000	0	2,42,82,000
65.	विमानन विभाग	राजस्व	1,50,00,000	0	1,50,00,000
66.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	2,20,000	0	2,20,000
69.	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय कल्याण.	राजस्व	2,92,00,000	0	2,92,00,000
75.	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	12,00,00,000	0	12,00,00,000
80.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,67,38,000	0	2,67,38,000
	योग	**राजस्व**	**1,69,64,72,700**	**1,76,97,20,500**	**3,46,61,93,200**
		पूंजी	**59,50,00,500**	**1,36,79,51,100**	**1,96,29,51,600**
	वृहद योग		**2,29,14,73,200**	**3,13,76,71,600**	**5,42,91,44,800**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

तारीख 2005 भारसाधक सदस्य

रायपुर, दिनांक 11 मार्च-2005

क्रमांक 1894/21-अ/प्रारुपण/05.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) अधिनियम, 2005 (क्र. 1 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमल सिंह कपूर, उप सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(NO. 1 of 2005)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 1) ACT, 2005

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2004-2005.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty Six year of the Republic of India as follows :-

Short title. 1. This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation Act, 2005 (No. 1 of 2005).

Issue of Rs. 542,91,44,800 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2004-2005. 2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Five Hundred Forty Two Crore Ninety One Lakh Forty Four Thousand Eight Hundred rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2004-2005 in respect of services specified in column (2) of the schedule.

Appropriation. 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total
(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
	Charged Appropriation- Interest Payments and Servicing of Debt.	Revenue	0	1,74,61,79,200	1,74,61,79,200
	Charged Appropriation- Public Debt.	Capital	0	1,36,78,51,100	1,36,78,51,100
01.	General Administration	Revenue	1,09,00,000	25,00,000	1,34,00,000
06.	Expenditure pertaining to Finance Department.	Revenue	60,25,30,000	6,59,000	60,31,89,000
		Capital	0	1,00,000	1,00,000
08.	Land revenue and district administration.	Revenue	1,56,55,000	0	1,56,55,000
10.	Forest	Revenue	70,00,000	1,74,80,300	4,44,80,300
		Capital	100	0	100
11.	Expenditure pertaining to Commerce and Industry Department.	Revenue	1,56,93,000	0	1,56,93,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
13.	Agriculture	Revenue	4,43,12,000	2,38,000	4,45,50,000
14.	Expenditure pertaining to Animal Husbandry Department.	Revenue	2,00,42,000	0	2,00,42,000
17.	Co-operation	Capital	4,00,00,000	0	4,00,00,000
18.	Labour	Revenue	7,25,000	0	7,25,000
19.	Public Health and Family Welfare	Revenue	1,06,58,000	0	1,06,58,000
20.	Public Health Engineering	Revenue	10,00,000	0	10,00,000
22.	Urban Administration and Development Department - Urban Bodies.	Revenue	6,11,000	0	6,11,000
23.	Water Resources Department	Revenue	5,00,000	0	5,00,000
24.	Public works-roads and bridges	Capital	200	0	200
25.	Expenditure pertaining to Mineral resources Department.	Revenue	75,00,000	0	75,00,000
26.	Expenditure pertaining to Culture Department.	Revenue	10,36,000	0	10,36,000
27.	School education	Revenue	4,00,00,000	0	4,00,00,000
29.	Administration of Justice and Elections.	Revenue	1,47,16,000	26,64,000	1,73,80,000
30.	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department.	Revenue	3,17,000	0	3,17,000
33.	Expenditure pertaining to Tribal welfare Department.	Revenue	15,60,000	0	15,60,000
39.	Expenditure pertaining to Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department.	Revenue	32,58,27,000	0	32,58,27,000
41.	Tribal Areas Sub-plan	Revenue Capital	29,63,84,700 43,50,00,000	0 0	29,63,84,700 43,50,00,000
42.	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-roads and bridges.	Capital	100	0	100
44.	Expenditure pertaining to Higher Education Department.	Revenue	6,75,000	0	6,75,000
45.	Minor Irrigation Works	Revenue	50,00,000	0	50,00,000
47.	Man-Power Planning and Technical Education Department.	Revenue	32,00,000	0	32,00,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
48.	Administration Upgradation Grant Under Eleventh Finance Commission.	Capital	100	0	100
55.	Expenditure pertaining to Women and Child Welfare.	Revenue	2,67,00,000	0	2,67,00,000
56.	Rural Industries	Revenue	3,53,000	0	3,53,000
58.	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity.	Revenue	12,81,38,000	0	12,81,38,000
64.	Special Component Plan For Scheduled Castes.	Revenue	2,42,82,000	0	2,42,82,000
65.	Aviation Department	Revenue	1,50,00,000	0	1,50,00,000
66.	Welfare of Backward Classes	Revenue	2,20,000	0	2,20,000
69.	Expenditure pertaining to Urban Administration and Development Department - Urban Welfare.	Revenue	2,92,00,000	0	2,92,00,000
75.	NABARD aided Projects pertaining to Water Resources Department.	Capital	12,00,00,000	0	12,00,00,000
80.	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions.	Revenue	2,67,38,000	0	2,67,38,000
	Total	**Revenue**	**1,69,64,72,700**	**1,76,97,20,500**	**3,.46,61,93,200**
		Capital	**59,50,00,000**	**1,36,79,51,100**	**1,96,29,51,600**
	Grand Total		**2,29,14,73,200**	**3,13,76,71,600**	**5,42,91,44,800**

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of Article 204(1) of the Constitution of India read with Article 205 there of to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh of the moneys required to meet the Supplementary expenditure charged on the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh and the grants made by the Legislative Assembly for expenditure of the Government of Chhattisgarh for the Financial Year 2004-2005.

2. Hence this bill.

Raipur
Dated, the 2005

Member-in-Charge

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित —2005.